



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239219
CG-DL-E-29092022-239219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4392]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944

No. 4392]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ ASVINA 7, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4582(अ).—केंद्रीय सरकार, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 410 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित तारीख 27 नवंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4279(अ) के द्वारा नियुक्त निम्नलिखित न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों के कार्यकाल को तारीख 23 अक्तूबर, 2022 से उन्हीं निबंधन व शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

क्र.सं.	सदस्य का नाम	न्यायिक सदस्य/तकनीकी सदस्य
1.	न्यायधीश (सेवानिवृत्त) श्री वेणुगोपाल एम	न्यायिक सदस्य
2.	न्यायधीश (सेवानिवृत्त) श्री जरत कुमार जैन	न्यायिक सदस्य
3.	श्री विजय प्रताप सिंह	तकनीकी सदस्य
4.	डॉ. अशोक कुमार मिश्रा	तकनीकी सदस्य

[फा. सं. ए-40012/1/2020-प्रशा.IV]

अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4582(E).— In exercise of the powers conferred by section 410 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Tribunals Reforms Act, 2021 (33 of 2021), the Central Government hereby extends the tenure of the following Judicial Members and Technical Members in the National Company Law Appellate Tribunal appointed, vide Notification No. S.O. 4279 (E), dated the 27th November, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), with same terms and conditions for a period of one year or till attaining the age of 67 years or until further order, whichever is the earliest with effect from 23rd October, 2022.

Sl. No.	Name of the Member	Judicial Member/ Technical Member
1.	Justice (Retd.) Shri Venugopal M	Judicial Member
2.	Justice (Retd.) Shri Jarat Kumar Jain	Judicial Member
3.	Shri Vijai Pratap Singh	Technical Member
4.	Dr. Ashok Kumar Mishra	Technical Member

[F. No. A-40012/1/2020-Ad.IV]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.